न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा न0 05/2018

सुब्बा पुत्र मुन्शी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी

सायल

बनाम

1. खुर्शीद पुत्र मुन्शी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी
2. राज0सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा वकील सायल
श्री नसरू खां वकील गैरसायल संख्या 1

दिनांक :– 04.03.2020

निर्णय

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 272 में से मात्र 0.03 है0 बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्थित है आराजी मुतदाविया पूर्व में हमारे बुजुर्गान की आराजी है। जिस पर पूरा परिवार सामलात में काश्त करता था एवं इसी नम्बर के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर सडक के सहारे हमारे बुजुर्गो व मृत्तक परिवारीजनों हेतु परिवारिक कब्रिस्तान बना रखा है जिसमें करीब 8–10 कब्रे हमारे पूर्वजों की मौजूद है। अब हमारे परिवारी मन बट में व कानूनी बंटवारे में भी उक्त नम्बर सालम 0.22 है0 गैरसायल संख्या 1 के हिस्सा व कब्जे काश्त में खातेदारी में आ गया। जिसकी एवज में सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण ने 1–1 एयर रकबा कुर्शीद को दे रखा है और आज तक कुर्शीद 0.03 है0 को कब्रिस्तान व सामलाती मानने को सहमत था। उस नम्बर में रास्ता 12 फुट सडक तक दने को राजीनामा पूर्व में कर चुका है। राजस्व रिकार्ड में गैरसायल संख्या 1 के नाम होने की वजह से उसके दिल में बदयान्ती आ गई हैं और वह सालिम नम्बर 0.22 को मय रकबा कब्रिस्तान को बेचना चाहता है। इस प्रकार सायल 0.03 है0 को पारिवारिक कब्रिस्तान को बेचना चाहता है। उसने दिनांक 29.12.2017 को धमकी दी है कि आराजी मुत0 सालिम को बेचकर रहेगा। क्योकि आराजी उसकी खातेदारी में है। अगर गैरसायल अपने इस इरादे में कामयाब हो गया तो सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण को ऐसी अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से नहीं की

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जावेगी एवं हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी मुतदाविया दक्षिणी पश्चिमी कोने सडक के सहारे 0.03 है0 रकबे को रहनबय मुन्तकिल न करे राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनी रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायल संख्या 1 मय वकील उपस्थित आया जवाब इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायल एक ही परिवार के व्यक्ति है जो कि पूर्व में सम्मलित रहकर काश्त करते थे और जब सम्मलित होना काश्त करना सम्भव नहीं रहा तो सायल एवं गैरसायलान को हमारे पिता ने अपने जीवनकाल में ही अलग कर दिया और मनबट में आई आराजी पर मुताबिक बंटवारा सायल एवं गैरसायलान काश्त करने लग गये । सायल एवं गैरसायलान के पिता बंटवारे के बाद गैरसायल संख्या 1 के साथ रहते थे गैरसायल की माता का देहान्त हुआ तो गैरसायल के पिता ने हमारी मां का अन्तिम संस्कार करने की इच्छा मेरे हिस्से में आये खसरा नम्बर 272/0.22 में करने की जाहिर की और मेरी सहमति से मेरे इस खेत में मेरी मां का अन्तिम संस्कार कर दिया तथा मेरे पिता ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरा अन्तिम संस्कार भी अपनी मां की कब्र के पास ही करना जब सन् 2004 में पिता का देहान्त हुआ तो उनका अन्तिम संस्कार भी मैंने अपनी मां की कब्र के पास ही कर दिया । यह खसरा नम्बर मेरी निजी खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें सायल एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का लेना देना नहीं है। पिता द्वारा किये गये मन बट के आधार पर कब्जे व काश्त गैरसायल संख्या 1 ने सायल एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में वैधानिक रूप से बंटवारा कराने बाबत एक दावा पेश किया जिसमें सायल एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो पक्षकारान की सहमति द्वारा दिनांक 28.06.2006 को डिक्री किया गया। बंटवारे में गैरसायल को उक्त खसरा नम्बर 272/0.22 है0 को सम्मलित करते हुये गैरसायल को कुल 1.94 है0 एवं सायल सुब्बा को 1.95 है0 तथा तरतीवी प्रतिवादीगण को जो गैरसायल के बडे भाई रूस्तम की सन्तान है को 1.94 है0 रकबा मिला और न्यायालय के आदेशानुसार इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बंटवारा अंकन कर दिया गया। सायल एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का सायल के हिस्से में आई कृषि भूमि से कोई संबन्ध किसी किस्म का नहीं है सायल चालाक किस्म का आदमी है जिसके हिस्से में 0.01 है0 जमीन ज्यादा

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

है फिर भी वह गलत तरीके से दावा पेश कर गैरसायल की खातेदारी की आराजी को हडपने की फिराक में है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के है। गैरसायल ने अपनी खातेदारी की आराजी में माता पिता की कब्रें अपने पिता की इच्छानुसार ही बनाई थी। गैरसायल संख्या 1 की आराजी से कब्रिस्तान व अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबन्ध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी मुतदाविया पूर्व में हमारे बुजुर्गान की है। जिस पर पूरा परिवार सामलात में काश्त करता था इसी नम्बर दक्षिणी पूर्वी कोने पर सडक के सहारे हमारे पूर्वजों एवं मृत्तक परिवारीजनो हेतु परिवारिक कब्रिस्तान बना हुआ है। विवादित आराजी को गैरसायल रहनवय करने की फिराक में है जिसकी बाबत उसने दिनांक 29.12.2017 को धमकी दी है । यदि गैरसायल ने उक्त आराजी को रहनवय मुन्तकिल कर दिया तो हमारी धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचेगी एवं मिट्टी वगैराह लगाने में परेशानी उठानी पडेगी। अतः गैरसायल संख्या 1 के जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे आराजी मुतदाविया के दक्षिणी पश्चिमी कोने सडक के सहारे 0.03 हैक्टर रकबा को रहनवय मुन्तकिल न करे एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वकील गैरसायल संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन है कि पिता द्वारा किये गये मन बट के आधार पर कब्जे व काश्त गैरसायल संख्या 1 ने सायल एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में वैधानिक रूप से बंटवारा कराने बाबत एक दावा पेश किया जिसमें सायल एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो पक्षकारान की सहमति द्वारा दिनांक 28.06.2006 को डिक्री किया गया। बंटवारे में गैरसायल को उक्त खसरा नम्बर 272/0.22 है0 को सम्मलित करते हुये गैरसायल को कुल 1.94 है0 एवं सायल सुब्बा को 1.95 है0 तथा तरतीवी प्रतिवादीगण को जो गैरसायल के बडे भाई रूस्तम की सन्तान है को 1.94 है0 रकबा मिला और न्यायालय के आदेशानुसार इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बंटवारा अंकन कर दिया गया। सायल एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का सायल के हिस्से में आई कृषि भूमि से कोई संबन्ध किसी किस्म का नहीं है सायल चालाक किस्म का आदमी है जिसके हिस्से में 0.01 है0 जमीन ज्यादा है फिर भी वह गलत तरीके से दावा पेश कर गैरसायल की खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी को हडपने की फिराक में है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के है। गैरसायल ने अपनी खातेदारी की आराजी में माता पिता की कब्रें अपने पिता की इच्छानुसार ही बनाई थी। गैरसायल संख्या 1 की आराजी से कब्रिस्तान व अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबन्ध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील फरीकेन की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी खसरा नम्बर 272/0.22 है0 बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी पर गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ऐसी स्थिति में खातेदार को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सायल काबिले खारिजी के है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)